


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत शाहिल कुमार सिंह पिता श्री पंकज कुमार सिंह, निवासी- ग्राम: रबोध, थाना: मांडू, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: रबोध, थाना सं: 51, खाता सं. 63 के अधीन प्लॉट सं. 1483/1 और 1452/2, कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त ग्राम: रबोध, थाना सं: 51, खाता सं. 63 के अधीन प्लॉट सं. 1483/1 और 1452/2, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत शाहिल कुमार सिंह पिता श्री पंकज कुमार सिंह, निवासी- ग्राम: रबोध, थाना: मांडू, जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
23/4/18

